02/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उक्त-
फर्म उपरोक्त प्रा.पत्र प्राविजनल आंशिक स्वीकार-
किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल-
किया जायेगा केस से करना हो
आदेश उच्चारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/96

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

मायादेवी आदि बनाम रजीराम व अन्य GCMS:- 2023/96

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–161/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 02.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2–3 के दादा राजीराम पुत्र नानुराम के नाम से चक 11 एस0जी0आर0 के खाता संख्या 121 में 3.428 हेक्टर व इसी चक के खाता संख्या 123 में 1.084 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.512 हैक्टर नहरी/बारानी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–01 हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं परस्पर सहदायिक है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त 4.512 हैक्टर भूमि अपने पिता से विरास्त में प्राप्त हुई हैं। पैतृक श्रेणी की सम्पति है। जिसमें वादी संख्या 1 के पति व 2 ता 3 के पिता सन्दीप कुमार का जन्म से हक है। सन्दीप कुमार की मृत्यु उपरान्त वादीगण बतौर वारिस उक्त सम्पति की घोषणा करवाने के हकदार है। प्रतिवादी संख्या–1 का व्यवहार वादीगण के साथ सही नही है। वादीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग बच्चे ह। वादी 1 पीहर में रहती है। प्रतिवादी संख्या–1 को कई बार अपने विधिक अनुसार प्राप्त भूमि को नाम करवाने पर कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 लड़ाई–झगड़े पर उतारू हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 उपर्युक्त भूमि को बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। वादीया दिनांक 15.07.2023 को अपने भाई को साथ लेकर प्रतिवादी संख्या–1 से मिली तथा वादीगण का हक प्रदान करने को कहने पर प्रतिवादी संख्या–1 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया। वादीगण के पति/पिता सन्दीप कुमार को बतौर सहदायिक 1/5 हिस्सा पर विधिक है एवं उनकी मृत्यु पश्चात् वादीगण को बतौर वारिस विधिक हक प्राप्त होतें हैं। दिनांक 10.08.2023 को प्रश्नगत रकबा कुल 4.512 हैक्टर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त स्थगन आदेश को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि जैरप्रकरण भूमि पैतृक है। अप्रार्थी संख्या–1 के जीवनकाल में हक घोषित करवाने का वादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। जैर प्रकरण भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। अप्रार्थी संख्या–1 रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। स्थगन होने से अप्रार्थी–1 बीज, खाद, पानी की डिग्गी, ट्यूबवैल आदि लगवाने के लिए बैंक व सहकारी समिति से ऋण नही ले सकता है। इससे अप्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा निरस्त किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी [illegible] ता 66 चक 11 एस0जी0आर0 के खाता संख्या 40/45 के पत्थर [illegible](33) के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की 2.2[illegible] हैक्टर नहरी मय [illegible] पत्थर नं. 31/307 (34) के किला नं. 1 ता 19, 20/2, 22 ता 25 की [illegible] हैक्टर नहरी मय गै0मु0 रास्ता कुल 8.172 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या-1 [illegible]नू के नाम से खातेदार अंकित है। इससे यह साबित है कि चक 11 एस0जी0आर0 की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 121/97 की 3.428 हैक्टर भूमि अप्रार्थी–1 को अपने पिता से प्राप्त पैतृक भूमि है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में अपने पति/पिता का 1/5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 02.04.2026

हिस्सा मांग रहे है। जबकि पूर्व में न्यायालय द्वारा जैरप्रकरण रकबा में दोनों खातों पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। इसलिये समस्त भूमि में से खाता संख्या 121/97 की भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पर स्थगन जारी किया जाना उचित है। शेष भूमि खाता संख्या 123/100 की 1.084 हैक्टर पैतृक साबित नही होने से स्थगन निरस्त किया जाना उचित है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 10.08.2023 में संशोधन किया जाकर अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे वादपत्र के निर्णय तक तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एस0जी0आर0 के खाता संख्या 121/97 के पत्थर नं. 31/307 (34) के किला नं. 5/2, 6/1, 8/2, 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 3.428 हेक्टर नहरी मय गै0मु0 रास्ता में से 1/5 हिस्सा भूमि को रहन, बैय ना करें तथा मौके व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखें। उक्त खाता की शेष भूमि पर स्थगन लागू नहीं होगा। खाता संख्या 123/100 की 1.084 हैक्टर भूमि पर से स्थगन निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:09 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़